

कार्यालय आदेश

स्व.श्री रमेश डामोर, जमादार, कार्यालय भू-प्रबन्ध अधिकारी, उदयपुर का राजकीय सेवा में रहते हुए दिनांक 24.04.2025 को स्वर्गवास हो जाने के फलस्वरूप उनके आश्रित पुत्र श्री कल्पेश डामोर द्वारा विभाग में दिनांक 13.05.2025 को प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज प्रस्तुत कर पटवारी के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति दिये जाने हेतु आवेदन किया, श्री डामोर की शैक्षणिक योग्यता स्नातक, मोहनलाल सुखाडिया विश्व विद्यालय, राजस्थान उदयपुर द्वारा जारी अंक तालिका पंजीयन संख्या 162847 रोल नं. 151585 वर्ष 2019 दिनांक 04.07.2019 के अनुसार स्नातक उत्तीर्ण है। माध्यमिक, शिक्षा बोर्ड, राजस्थान द्वारा जारी अंक तालिका पंजीयन संख्या 0546168 रोल नं. 0985126 दिनांक 06.06.2013 के अनुसार इनकी जन्मतिथि 18.09.1996 (अठारह सितम्बर उन्नीसों छियान्नवे) है। कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जिला बासंवाडा (राज.) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र क्रमांक Police/digitalpolice verification/5404707 दिनांक 12.05.2025 के अनुसार श्री डामोर के विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण नहीं पाया गया। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, महात्मा गांधी चिकित्सालय बासंवाडा द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र दिनांक 10.05.2025 के अनुसार श्री कल्पेश डामोर को पटवारी के पद के योग्य पाया गया। राजस्थान मृतक कर्मचारी आश्रित अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996, राजस्थान राजस्व (भू-अभिलेख, भू-प्रबन्ध एवं उपनिवेशन) अधीनस्थ सेवा नियम 2019, राजस्थान अधीनस्थ, मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 तथा वित्त (नियम डिवीजन) विभाग राजस्थान जयपुर की अधिसूचना एफ.1 (2) एफ.डी./रूल्स/2006 दि० 13.03.06 अधिसूचना क्रमांक एफ.15 (1) एफ.डी./रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017, दिनांक 09.12.2017 एवं समय-समय पर वित्त (नियम डिवीजन) विभाग राजस्थान जयपुर एवं राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्रों/नियमों के अनुसरण में पुनरीक्षित नवीन वेतनमान 2017 पे मैट्रिक लेवल L-5 अनुसार परीवीक्षाकाल में निर्धारित पारिश्रमिक रुपये 14600/-रु प्रतिमाह संदत्त पर कार्य ग्रहण दिनांक से 2 वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर पूर्णतः अस्थाई रूप से प्रशिक्षु पटवारी पद पर नियुक्ति प्रदान की जाकर कार्यालय भू-प्रबन्ध अधिकारी उदयपुर, मे रिक्त पद के विरुद्ध पदस्थापित किया जाता है।

यह नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन रहेगी:-

1. इन्हें परीवीक्षा अवधि के दौरान वित्त विभाग के आदेश दिनांक 13.03.06 एवं 09.12.2017 के अनुसार इन्हें नियमानुसार स्थिर पारिश्रमिक देय होंगे। इसके अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते देय नहीं होंगे।
2. वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.14 (1) एफ.डी./रूल्स/2013 पार्ट दिनांक 28.06.2013 एवं अधिसूचना क्रमांक एफ.15 (1) एफ.डी./रूल्स/2017 30.10.2017 के अनुसरण में एफ.1(2)एफ.डी./रूल्स/06 दिनांक 13.03.2006 के अनुसार इनके द्वारा दो वर्ष की परीवीक्षाकाल अवधि संतोषप्रद पाये जाने एवं परीवीक्षाकाल की समाप्ति के पश्चात पुनरीक्षित नवीन वेतनमान 2017 के अनुसार पटवारी पद की ग्रेड पे-2400 पे मैट्रिक लेवल L-5 अनुसार वेतन दिये जावेंगे। परीवीक्षाकाल अवधि में वेतन वृद्धि देय नहीं होगी।



3. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रेनीज) की अवधि में राज्य बीमा की कटौती नहीं होगी। वित्त विभाग के आदेश क्रमांक प.2 (2) वित्त (नियम) 2021 पार्ट जयपुर दिनांक 26.05.2022 तथा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए जाने वाले आदेशों के अनुसार सामान्य प्रावधानी निधि की नियमानुसार मासिक कटौती की जावेगी।
4. परिवीक्षाकाल अवधि में प्रत्येक कलेण्डर वर्ष में 15 दिवस का आकस्मिक अवकाश देय होगा। नियुक्ति कलेण्डर वर्ष के मध्य में होने पर अनुपातिक रूप से आकस्मिक अवकाश देय होगा।
5. इस आदेश प्राप्ति से 15 दिवस तक अपनी उपस्थिति रिपोर्ट कार्यालय भू-प्रबन्ध अधिकारी, उदयपुर में प्रस्तुत करनी होगी अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त हो जायेगा।
6. श्री कल्पेश डामोर द्वारा स्व. श्री रमेश डामोर, जमादार के आश्रितों का उचित तौर पर भरण-पोषण नहीं करने की स्थिति में यह नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
7. श्री कल्पेश डामोर द्वारा नियमानुसार नियुक्ति की शर्त पूर्ण नहीं करने पर बिना पूर्व सूचना अथवा बिना नोटिस दिये किसी भी समय राजकीय सेवा से पृथक किया जा सकता है।
8. यह नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/परिपत्रों के अन्तर्गत शासित होगी एवं समय-समय पर जारी किये गये निर्देश/परिपत्र लागू होंगे।
9. मृतक कर्मचारी की आश्रितों द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार मृतक आश्रित के परिवार में से कोई भी व्यक्ति राज्य सेवा, केन्द्र सेवा या अन्य स्वायत्तशासी संस्था में नियुक्त नहीं है। आदेश जारी होने की तिथि या इससे पूर्व में नियुक्त होने की दशा में उक्त नियुक्ति आदेश नियमानुसार निरस्त किये जा सकेंगे।
10. प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग, जयपुर के परिपत्र क्रमांक प.7 (13) कार्मिक/क-2/23 दिनांक 11-5-2023 के अनुसार राजकीय सेवा में कार्यग्रहण करने के समय श्री डामोर से निम्न आशय का शपथ पत्र भी लिया जाकर सेवा अभिलेख में संकलित किया जावे :-
“शपथ लेता हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ, कि भारत और विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और सच्ची निष्ठा रखूंगा, मैं भारत की प्रभुता और अखण्डता अक्षुण्ण रखूंगा, तथा मैं अपने पद के कर्तव्यों की राजभक्ति, ईमानदारी और निष्पक्षता से पालना करूंगा। (अतः ईश्वर मेरी सहायता करें)“
11. अभ्यर्थी को कार्यभार सम्भालने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

संलग्न- मूल पत्रावली/मय दस्तावेज।

(जगजीत सिंह मोंगा)
भू-प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान,
जयपुर

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप-1) विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
3. निबंधक, राजस्व मण्डल अजमेर।
4. प्रधानाचार्य भू-प्रबंध प्रशिक्षण संस्थान एवं अतिरिक्त भू-प्रबंध आयुक्त राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि अनुकम्पा नियम 1996 द्वारा से पटवारी पद पर चयनित अभ्यर्थी को निर्धारित पाठ्यक्रम एवं अस्थाई पटवार प्रशिक्षणशाला में प्रशिक्षण दिलाये जाने की समुचित व्यवस्था करें।
5. भू-प्रबन्ध अधिकारी उदयपुर, को भेजकर लेख है कि प्रशिक्षु पटवारी श्री कल्पेश डामोर द्वारा उपस्थिति के समय इनके द्वारा प्रस्तुत मूल शैक्षणिक दस्तावेजों, मूल जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, जन्मतिथि प्रमाण पत्र व चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यक रूप से जाँच कर ले, यदि कोई त्रुटि पायी जावे तो मुख्यालय को अवगत करावें तथा समस्त आवश्यक दस्तावेजों की मूल/छाया प्रति इनकी निजी पत्रावली में नत्थी किये जावें।
6. कोषाधिकारी, उदयपुर द्वारा भू-प्रबन्ध अधिकारी उदयपुर।
7. श्री कल्पेश डामोर पुत्र स्व. श्री रमेश डामोर प्रशिक्षु पटवारी निवासी मु0 पोस्ट- कूपडा, तहसील- बासंवाडा, जिला- बासंवाडा पिन कोड- 327001 को भेजकर लेख है कि शैक्षणिक दस्तावेज, मूल निवास प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्रों की स्व प्रमाणित छाया प्रति एवं दो राजपत्रित अधिकारियों के द्वारा जारी चरित्र प्रमाण-पत्र, उपस्थिति रिपोर्ट एवं मूल दस्तावेज साथ ले कर भू-प्रबन्ध अधिकारी उदयपुर, कार्यालय मे प्रस्तुत करें।
8. निजी पंजिका श्री कल्पेश डामोर प्रशिक्षु पटवारी भू-प्रबन्ध अधिकारी उदयपुर।
9. वरिष्ठता शाखा/गोपनीय शाखा/लेखा शाखा/सामान्य/आई टी शाखा।
10. विशेष वाहक श्री अनूप कुमार पाथर, वरिष्ठ सहायक को लेख है कि प्रकरण से संबंधित मूल पत्रावली कार्यालय भू-प्रबन्ध अधिकारी, उदयपुर में दिनांक 07.11.2025 को उपस्थित होकर जमा करवाये ।
11. रक्षित पत्रावली।

**भू-प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान,
जयपुर**